झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण)
प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण

दिनांक 24.02.2022 को संपन्न मध्याह्न भोजन योजना अतंर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में योजना का सामाजिक अंकेक्षण की राज्य स्तरीय सुनवाई की कार्यवाही।

दिनांक 24.02.2022 को झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के सभागार में अपराह्न 3.00 बजे सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए मध्याह्न भोजन योजना का सामाजिक अंकेक्षण की राज्य स्तरीय सुनवाई संपन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्यों ने भाग लिया–

- ❖ सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
- ❖ निदेशक, झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण
- ❖ राज्य परियोजना निदेशक, झा.शि.प.प.
- ❖ राज्य खाद्य आयोग के प्रतिनिधि
- ❖ महालेखाकार के प्रतिनिधि
- ❖ सोशल ऑडिट यूनिट के प्रतिनिधि
- ❖ जिला शिक्षा अधीक्षक– पलामू, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, सरायकेला–खरसांवा, राँची तथा रामगढ़, चतरा, एवं गिरीडीह जिला से जिला शिक्षा अधीक्षक के प्रतिनिधि।

उपस्थिति विवरणी अलग से संधारित है।

कार्यवाही संख्या–1

सर्वप्रथम सोशल ऑडिट यूनिट, झारखण्ड के प्रतिनिधि द्वारा सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य तथा सामाजिक अंकेक्षण के लिए अपनायी गई प्रक्रिया से सदस्यों को अवगत कराया गया। उनके द्वारा यह बताया गया कि राज्य के सभी 24 जिलों में मध्याह्न भोजन योजना का सामाजिक अंकेक्षण किया गया जिसमें सरायकेला–खरसांवा, पलामू, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, चतरा, गिरीडीह, पाकुड़ तथा राँची जिले में जिला स्तरीय सुनवाई का कार्य संपन्न हो चुका है इसलिए इन जिलों की राज्य स्तरीय सुनवाई करने का प्रस्ताव है।

कार्यवाही संख्या–2 जिलावार सामाजिक अंकेक्षण के क्रम में आए मुद्दों एवं उनके निष्पादन की स्थिति के संबंध में समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिए गए–

(i) सरायकेला–खरसांवा

(क) नव प्राथमिक विद्यालय, डाउकोचा, प्रखण्ड–कुचाई में किचन–सह–स्टोर उपलब्ध नहीं है।

जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला–खरसांवा द्वारा बताया गया कि सुदूर, दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण अभी तक किचन–सह–स्टोर का निर्माण नहीं हो पाया है।

निर्णय– यह निर्णय लिया गया कि एक सप्ताह के अंदर जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला–खरसांवा किचन–सह–स्टोर के निर्माण का प्रस्ताव एवं प्राक्कलन तैयार कराकर झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध करायेंगे। दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र में निर्माण कराने में यदि अतिरिक्त राशि के व्यय की आवश्यकता हो, तो प्राक्कलन में इस हेतु स्पष्ट उल्लेख/प्रावधान अंकित किया जाय।

(ii) पलामू

मध्य विद्यालय, कनिराम, प्रखण्ड– नगरपालिका में निम्नांकित तथ्य पाये गये :–

दस्तावेज एवं भौतिक सत्यापन के अनुसार चावल की मात्रा में अंतर पाया गया। पंजी के अनुसार चावल की मात्रा 900 कि.ग्रा. जबकि भौतिक सत्यापन में 450 कि.ग्रा. पाया गया। रोकड़ पंजी भी उपलब्ध नहीं कराया गया। जिला स्तरीय सुनवाई में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण राज्य स्तरीय सुनवाई के लिए मामले को अग्रसारित किया गया।

जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू द्वारा बताया गया कि संबंधित प्रधानाध्यापक सेवानिवृत हो चुके है।

निर्णय– यह निर्णय लिया गया कि जिला शिक्षा अधीक्षक, पलामू विद्यालय में चावल की मात्रा में अंतर पाये जाने के कारण तत्कालीन दोषी शिक्षक के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठन कर विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करते हुए 10 दिनों के अंदर प्राधिकरण कार्यालय को सूचित करेंगे। साथ ही रोकड़ पंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

(iii) रामगढ़

(क) **नव प्राथमिक विद्यालय जमुनियाटोला, प्रखण्ड मांडू**– विद्यालय के मध्याह्न भोजन योजना के रोकड़ पंजी एवं पासबुक में रू. 76,436/– का अंतर पाया गया। सुनवाई में उपस्थित जिला शिक्षा अधीक्षक के प्रतिनिधि द्वारा यह बताया गया कि मामले की जांच की जा रही है तथा इस मामले में एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई गयी है।

निर्णय– यह निर्णय लिया गया कि जिला शिक्षा अधीक्षक, रामगढ़ एक सप्ताह के अंदर दोषी शिक्षक के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठन करते हुए निलंबन की कार्रवाई कर राशि वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई कर प्राधिकरण को सूचित करेंगे।

(iv) **लातेहार**

(क) **प्राथमिक विद्यालय, आधे कोरगी, प्रखण्ड– महुआटांड** में किचन शेड–सह–स्टोर नहीं है। बगल के आंगनबाड़ी में मध्याह्न भोजन बनता है।

निर्णय– यह निर्णय लिया गया कि जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार प्राथमिक विद्यालय, आधे कोरगी के लिए प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्थिति को देखते हुये एक किचन–सह–स्टोर निर्माण का प्रस्ताव एवं प्राक्कलन तैयार कराकर प्राधिकरण को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

(ख) **उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, सरईडीह, प्रखण्ड–बरवाडीह** में किचन–सह–स्टोर का निर्माण कार्य अधूरा है। रसोई घर नहीं रहने के कारण मध्याह्न भोजन अन्यत्र बनाया जा रहा है।

निर्णय– यह निर्णय लिया गया कि जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, सरईडीह के किचन–सह–स्टोर के अधूरे निर्माण कार्य से संबंधित स्थलीय जाँच कराकर अद्यतन वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन से प्राधिकरण को एक सप्ताह के अंदर अवगत करायेंगे तथा दोषी व्यक्ति के विरूद्ध नियमसंगत कार्रवाई करेंगे।

(v) **गिरीडीह**

(क) **उत्क्रमित उच्च विद्यालय, मोतीलेदा प्रखण्ड– बेंगाबाद** के प्रधानाध्यापक का सामाजिक अंकेक्षण के दौरान विद्यालय में उपस्थिति ना होना एवं किसी सहायक शिक्षक को उत्तरदायित्व नहीं देना, जिससे मध्याह्न भोजन अंतर्गत समाजिक अंकेक्षण के तहत् कार्यक्रमों का दस्तावेज को उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिससे समाजिक अंकेक्षण नहीं हो पाया। साथ ही प्रखण्ड एवं जिला स्तरीय सुनवाई में भी उपस्थित नहीं रहे।

निर्णय– यह निर्णय लिया गया कि संबंधित प्रधानाध्यापक के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठन कर निलंबन की कार्रवाई करते हुए 10 दिनों के अंदर कार्रवाई जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरीडीह प्राधिकरण कार्यालय को अवगत करायेंगे। इस विद्यालय का सामाजिक अंकेक्षण वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए किया जायेगा।

(ख) **उत्क्रमित उच्च विद्यालय मोतीलेदा, प्रखण्ड बेंगाबाद**– भौतिक एवं दस्तावेज सत्यापन के दौरान निम्नप्रकार का पंजी उपलब्ध नहीं करवाया गया–

(1) कैश बही
(2) चखना पंजी
(3) मुआवजा रजिस्टर
(4) सी.आर.पी रोस्टर/निगरानी रजिस्टर

प्रखण्ड एवं जिला स्तरीय सुनवाई में संबंधित शिक्षक/प्रधानाध्यापक भी उपस्थित नहीं रहे।

निर्णय– यह निर्णय लिया गया कि संबंधित प्रधानाध्यापक के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठन कर निलंबित करते हुए 10 दिनों के अंदर कृत कार्रवाई से जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरीडीह प्राधिकरण कार्यालय को अवगत करायेंगे। इस विद्यालय का सामाजिक अंकेक्षण वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए किया जायेगा।

(ग) **उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोल्हा सिंहा, प्रखण्ड बेंगाबाद–** भौतिक सत्यापन के दौरान उक्त विद्यालय में दिनांक 04.08.2019 से 07.09.2019 तक मध्याह्न भोजन बंद पाया गया। विद्यालय में उपस्थित सहायक शिक्षक एवं छात्र छात्राओं ने बताया कि राशि नहीं होने के कारण बंद है, जबकि शिक्षक ने यह भी बताया कि रू. 50,000/– विद्यालय विकास मद का जमा है।

निर्णय– ज्ञातव्य है कि मध्याह्न भोजन किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होना है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन के लिए राशि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में विद्यालय में किसी भी मद में उपलब्ध राशि से मध्याह्न भोजन का संचालन किया जाना है और बाद में राशि प्राप्त होने पर इसका सामंजन किया जाना है। ऐसी परिस्थिति में मध्याह्न भोजन का संचालन बंद होना खेदजनक है। अतः यह निर्णय लिया गया कि जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरीडीह द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापक के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठन कर निलंबित करते हुए 10 दिनों के अंदर प्राधिकरण कार्यालय को अवगत कराया जाय। साथ ही विद्यालय के सभी अर्हताधारी छात्र/छात्राओं को देय खाद्य सुरक्षा भत्ता एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराया जाय एवं प्रतिवेदन प्राधिकरण कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

(vi) **पाकुड़**

(क) **उत्क्रमित मध्य विद्यालय पीपरा प्रखण्ड– लिट्टीपाड़ा** के सामाजिक अंकेक्षण के दौरान विद्यालय में उपस्थित पारा शिक्षक के द्वारा लिखित पत्र दिया गया जिसमें कहा गया कि विद्यालय का प्रभार किसी शिक्षक को नहीं दिया गया। इस कारण से विद्यालय का सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया जा सका।

निर्णय– यह निर्णय लिया गया कि जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़ उत्क्रमित मध्य विद्यालय पीपरा, प्रखण्ड लिट्टीपाड़ा में शिक्षक को विद्यालय प्रभार नहीं मिलने की जांच करेंगे। यदि संबंधित विद्यालय के किसी शिक्षक का स्थानांतरण हुआ हो तो विभागीय आदेश के आलोक में स्थानांतरण की जांच कर उचित कार्रवाई करते हुए 10 दिनों के अंदर प्राधिकरण कार्यालय को सूचित करेंगे। इस विद्यालय का सामाजिक अंकेक्षण वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए किया जायेगा।

(7)

(ख) **उत्क्रमित उच्च विद्यालय पोखरिया, प्रखण्ड महेशपुर** 2 – सितम्बर' 2018 में 9 दिनो एवं नवम्बर' 2018 में 13 दिन मध्याह्न भोजन बंद था लेकिन मुआवजा बच्चो को नहीं दिया गया एवं मुआवजा पंजी भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

उपस्थित जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि सभी अर्हताधारी बच्चों को खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध करा दिया गया है। प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, महेशपुर–2 को जाँच प्रतिवेदन देने का आदेश दिया गया था।

निर्णय– यह निर्णय लिया गया कि जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड संबंधित विद्यालय में मध्याह्न भोजन बंद रहने की जांच/दोषी पर कार्रवाई एवं खाद्य सुरक्षा भत्ता दिये जाने का साक्ष्य एक सप्ताह के अंदर प्राधिकरण को उपलब्ध करायेंगे। जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, महेशपुर–2 के विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठित कर निलम्बन की कार्रवाई की जाय।

(ग) **मदरसा नुरूल बनतगनगटा, प्रखण्ड महेशपुर–** विद्यालय में जुलाई' महीने में 13 दिन तक मध्याह्न भोजन बंद पाया गया।

उपस्थित जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़ द्वारा बताया गया कि उक्त विद्यालय के शिक्षक का दो दिन का वेतन काट दिया गया है तथा खाद्य सुरक्षा भत्ता छात्रों को उपलब्ध करा दी गई है।

निर्णय– यह निर्णय लिया गया कि जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड संबंधित विद्यालय में कार्रवाई से संबंधित साक्ष्य प्राधिकरण को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

(घ) **मदरसा दिल मोहम्मदपुर भवानीपुर, प्रखण्ड पाकुड–** दस्तावेज सत्यापन के दौरान 01 से 08 सितम्बर मध्याह्न भोजन बंद पाया गया लेकिन उपस्थित बच्चों को मुआवजा नहीं दिया गया । मदरसा में मुआवजा पंजी भी नहीं पाया गया ।

उपस्थित जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़ द्वारा बताया गया कि खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध करा दिया गया है।

निर्णय– यह निर्णय लिया गया कि जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड संबंधित विद्यालय के शिक्षकों पर की गई कार्रवाई एवं खाद्य सुरक्षा भत्ता से संबंधित साक्ष्य प्राधिकरण को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

(घ) **मदरसा दारूल छोटा हिरणपुर, प्रखण्ड हिरणपुर–** दस्तावेज सत्यापन एवं शिक्षक व बच्चों से पूछने पर पता चला कि इस 01.04.2019 से 19.10.2019 तक अंडा वितरण नहीं हुआ है, पैसा के अभाव से।

निर्णय– यह निर्णय लिया गया कि जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड संबंधित विद्यालय के दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई करते हुये अंडा/फल की

(6)

(182)

प्रतिपूर्ति राशि छात्रों को उपलब्ध कराते हुये साक्ष्य प्राधिकरण को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

(vii) चतरा, पूर्वी सिंहभूम तथा राँची जिले से संबंधित कोई मामला राज्य स्तरीय सुनवाई के लिए लंबित नहीं पाया गया।

कार्यवाही संख्या–3

विभागीय सचिव द्वारा सुनवाई के क्रम में निम्नांकित सामान्य निदेश दिये गये–

i. आगामी सागाजिक अंकेक्षण के पूर्व सभी विद्यालयों के शिक्षकों/विद्यालय प्रबंधन समिति/सरस्वती वाहिनी संचालन रामिति के सदस्यों को सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में एक प्रशिक्षण दिया जाय, जिससे वे सामाजिक अंकेक्षण की पूर्व तैयारी कर सके।

ii. मध्याह्न भोजन से संबंधित आवश्यक सभी पंजी/अभिलेख की सूची सभी विद्यालयों को पुनः उपलब्ध करा दी जाय ताकि सामाजिक अंकेक्षण के समय इसकी उपलब्धता हो एवं इसका अवलोकन किया जा सके। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पंजियों तथा अभिलेखों की संख्या बहुत अधिक न हो।

iii. मध्याह्न भोजन के सामाजिक अंकेक्षण की प्रखण्ड/जिला/राज्य स्तरीय सुनवाई के क्रम में दिये जाने वाले दंड/सजा के बिंदुओं को विस्तारपूर्वक स्पष्ट करने हेतु स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आंतरिक वित्त सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाय जिसमें मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के विशेष कार्य पदाधिकारी तथा प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् सदस्य होंगे। इस समिति की अनुशंसा पर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा।

iv. सभी विद्यालयों के भवन पर खाद्य सुरक्षा भत्ता अधिनियम से संबंधित जानकारी का लेखन एक सप्ताह के अंदर पूरा करा लिया जाए।

v. जिन जिलों की जिला स्तरीय सुनवाई अबतक लंबित है, 15 दिनों के अंदर जिला स्तरीय सुनवाई संपन्न किया जाय ताकि समीक्षोपरांत राज्य स्तरीय सुनवाई की तिथि निर्धारित की जा सके।

अंत में सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई!

21/3/24

(राजेश कुमार शर्मा)
सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।

ज्ञापांक–झा.रा.म.भो.प्रा. 86/2020.../163 दिनांक–...22/03.../2022

प्रतिलिपि :– 1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपायुक्त पलामू, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, सरायकेला–खरसांवा, राँची, रामगढ़, चतरा एवं गिरीडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

3. सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक/संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को सूचनार्थ एवं इस निदेश के साथ प्रेषित की दण्डअधिरोपण का अनुपालन प्रतिवेदन प्राधिकरण कार्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।

4. प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची को सूचनार्थ एवं इस निदेश के साथ प्रेषित कि विभागीय पोर्टल पर अविलंब अपलोड करें।

5. समन्वयक, सोशल ऑडिट यूनिट, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(किरण कुमारी पासी)
निदेशक,
झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन
प्राधिकरण।

(4)

ज्ञापांक–झा.रा.म.भो.प्रा. 86 / 2020...163..... दिनांक–...22/03... / 2022

प्रतिलिपि :– 1. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. उपायुक्त पलामू, पाकुड़, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार, सरायकेला–खरसांवा, राँची, रामगढ़, चतरा एवं गिरीडीह को सूचनार्थ प्रेषित।

3. सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक / संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को सूचनार्थ एवं इस निदेश के साथ प्रेषित की दण्डअधिरोपण का अनुपालन प्रतिवेदन प्राधिकरण कार्यालय को प्रतिवेदित करेंगे।

4. प्रशासी पदाधिकारी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची को सूचनार्थ एवं इस निदेश के साथ प्रेषित कि विभागीय पोर्टल पर अविलंब अपलोड करें।

5. समन्वयक, सोशल ऑडिट यूनिट, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(किरण कुमारी पासी)
निदेशक,
झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन
प्राधिकरण।

ज्ञापांक–झा.रा.म.भो.प्रा. 86 / 2020....163.... दिनांक–...22/...03 / 2022

प्रतिलिपि :– 1. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षक), झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

2. राज्य खाद्य आयोग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(किरण कुमारी पासी)
निदेशक,
झारखण्ड राज्य मध्याह्न भोजन
प्राधिकरण।